nfud tkxj.k] iVuk] fnukd&10 Qjojh] 2013

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुपालन के क्रम में राज्य के सभी सरकारी/मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त/केन्द्रीय/नवोदय/सैनिक विद्यालयों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत निजी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से विद्यालय संबंधी सूचनाओं को एकीकृत डायस प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरे जाने हेतु अपील

विद्यालयीय शिक्षा के बेहतर शैक्षिक नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णयानुसार उपर्युक्त सभी श्रेणी के विद्यालयों को अपने विद्यालय संबंधी विवरण आवश्यक रूप से एकीकृत डायस (Unified DISE) प्रपत्र में भरकर संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करना है । इस वर्ष (2012–13) DISE (वर्ग–1 से 8 के लिए) एवं SEMIS (वर्ग– 9 से 12 के लिए) को एकीकृत करने के निर्णय के आलोक में U-DISE क्रियान्वित किया जा रहा है । इस हेतु राज्य में दिनांक 11–16 फरवरी, 2013 के दौरान U-DISE सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है ताकि उपर्युक्त सभी विद्यालय, जहाँ न्यूनतम वर्ग–1 एवं उच्चतम वर्ग–12, में से किसी कक्षा/कक्षाओं की पढ़ाई होती है, अनिवार्य रूप से इस सप्ताह में आँकड़ा संग्रह की तिथि (Cut-off-Date) 30 सितम्बर, 2012 को आधार मानते हुए भरा हुआ आँकड़ा संग्रह प्रपत्र संबंधित पदाधिकारी को समर्पित कर दें ।

यदि उपरोक्त श्रेणी के किसी विद्यालय को एकीकृत डायस का आँकड़ा संग्रह प्रपत्र नहीं प्राप्त हुआ है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा बिहार शिक्षा परियोजना के संबंधित जिला स्तरीय कार्यालय से सम्पर्क कर प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

आँकड़ा संग्रह प्रपत्र नहीं भरने की स्थिति में बिहार सरकार/सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता से विद्यालय वंचित रह सकता है एवं सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है । साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत पंजीकृत निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है ।

अतः उपर्युक्त श्रेणी के राज्य में संचालित सभी प्रकार के विद्यालय के संस्था प्रधान से अनुरोध है कि U-DISE का भरा हुआ आँकड़ा संग्रह प्रपत्र अनिवार्य रूप से U-DISE सप्ताह (11 से 16 फरवरी, 2013) के दौरान संबंधित पदाधिकारी/कार्यालय को जमा कर दें।

सम्पर्क सूत्र– एम.आई.एस. संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना 0612–2667163, 2667164, 9334242729, 9431284390

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

अमरजीत सिन्हा, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

सू.ज.स.वि. 14534 (वि.वि.) 12–13 बिहार

[Print to PDF](http://www.novapdf.com/) without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार सरकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुपालन के क्रम में राज्य के सभी सरकारी/मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त/केन्द्रीय/नवोदय/सैनिक विद्यालयों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत निजी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से विद्यालय संबंधी सूचनाओं को एकीकृत डायस प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरे जाने हेतु अपील

विद्यालयीय शिक्षा के बेहतर शैक्षिक नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णयानुसार उपर्युक्त सभी श्रेणी के विद्यालयों को अपने विद्यालय संबंधी विवरण आवश्यक रूप से एकीकृत डायस (Unified DISE) प्रपत्र में भरकर संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करना है । इस वर्ष (2012–13) DISE (वर्ग–1 से 8 के लिए) एवं SEMIS (वर्ग– 9 से 12 के लिए) को एकीकृत करने के निर्णय के आलोक में U-DISE क्रियान्वित किया जा रहा है । इस हेतु राज्य में दिनांक 11–16 फरवरी, 2013 के दौरान U-DISE सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है ताकि उपर्युक्त सभी विद्यालय, जहाँ न्यूनतम वर्ग–1 एवं उच्चतम वर्ग–12 में से किसी कक्षा / कक्षाओं की पढ़ाई होती है, अनिवार्य रूप से इस सप्ताह में आँकड़ा संग्रह की तिथि (Cut-off-Date) 30 सितम्बर, 2012 को आधार मानते हुए भरा हुआ आँकड़ा संग्रह प्रपत्र संबंधित पदाधिकारी को समर्पित कर दें ।

यदि उपरोक्त श्रेणी के किसी विद्यालय को एकीकृत डायस का आँकड़ा संग्रह प्रपत्र नहीं प्राप्त हुआ है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा बिहार शिक्षा परियोजना के संबंधित जिला स्तरीय कार्यालय से सम्पर्क कर प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आँकड़ा संग्रह प्रपत्र नहीं भरने की स्थिति में बिहार सरकार / सर्व शिक्षा अभियान / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता से विद्यालय वंचित रह सकता है एवं सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है । साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत पंजीकृत निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है ।

अतः उपर्युक्त श्रेणी के राज्य में संचालित सभी प्रकार के विद्यालय के संस्था प्रधान से अनुरोध है कि U-DISE का भरा हुआ आँकड़ा संग्रह प्रपत्र अनिवार्य रूप से U-DISE सप्ताह (11 से 16 फरवरी, 2013) के दौरान संबंधित पदाधिकारी / कार्यालय को जमा कर दें।

सम्पर्क सूत्रः– एम.आई.एस. संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना 0612–2667163, 2667164, 9334242729, 9431284390

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

अमरजीत सिन्हा, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

पी.आर.-14534 (शिक्षा) 12-13

घूसखोर का क्या जीना– रात में नींद, न दिन में चैना

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)